दिनांक ५ अप्रैल, २०१८ को आयोजित विद्वत्परिषद् की नौवीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की नौवीं बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष
2. प्रो. मनोज कुमार मिश्र,	सदस्य
3. प्रो. कौशलेन्द्र पाण्डेय	सदस्य
4. प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
5. प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य
6. प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
7. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य
8. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
9. प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्या
10. प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
11. प्रो. शुकदेव भोई	सदस्य
12. प्रो. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
13. प्रो. इच्छाराम द्विवेदी	सदस्य
14. प्रो. वीर सागर जैन	सदस्य
15. प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	सदस्य
16. प्रो. बिहारी लाल शर्मा	सदस्य
17. प्रो. केदार प्रसाद परोहा	सदस्य
18. प्रो. विनोद कुमार शर्मा	सदस्य
19. प्रो. राम राज उपाध्याय	सदस्य
20. प्रो. रचना वर्मा मोहन	सदस्या
21. प्रो. रजनी जोशी चौधरी	सदस्या
22. प्रो. जय कुमार एन. उपाध्ये	सदस्य
23. प्रो. के. भारत भूषण	सदस्य
24. प्रो. संगीता खन्ना	सदस्या
25. प्रो. नीलम ठगेला	सदस्या
26. डॉ. यशवीर सिंह	सदस्य
27. डॉ. सुधांशुभूषण पण्डा	सदस्य
28. डॉ. बृन्दाबन दाश	सदस्य
29. डॉ. के. अनंता	सदस्य
30. डॉ. सदन सिंह	सदस्य
31. डॉ. आदेश कुमार	सदस्य
32. डॉ. एन.पी. सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य

33. डॉ. अलका राय सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए :-

1. प्रो. शिव वरण शुक्ला
2. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी
3. प्रो. भास्कर मिश्र
4. प्रो. रशिम मिश्र
5. डॉ. ए.एस. आरावमुदन

प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण के साथ ही बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। डॉ. अलका राय, कुलसचिव महोदया ने विद्वत्परिषद् की नौवीं बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के प्रत्येक मद को प्रस्तुत किया। गहन विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

संकल्प संख्या ९.१ विद्वत्परिषद् की दिनांक २४ अक्टूबर, २०१७ को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को सम्पन्न हुई आठवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ९.२ विद्वत्परिषद की दिनांक २४ अक्टूबर, २०१७ को सम्पन्न हुई आठवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन।

विद्वत्परिषद की दिनांक 24.10.2017 को सम्पन्न हुई आठवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में विद्वत्परिषद् के सचिव द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही की पुष्टि की गयी। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि यदि किसी विभाग द्वारा अभी तक अपने विभाग से संबंधित कार्यवृत्त पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं की गई है वे शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संकल्प संख्या ९.३ समय-समय पर आयोजित संकाय प्रमुखों एवं अन्य शैक्षणिक समितियों की बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि ।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन हेतु संकाय-प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की समय-समय पर सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों पर विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक क्रियाकलापों से संबंधित नीतिगत सुझावों को क्रियान्वित किया जाए और वित्तीय तथा प्रशासकीय संस्तुतियां वित्त समिति और प्रबंध मण्डल को विचारार्थ एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित की जाएं।

१) विषय- उपस्थिति व्यवस्था तथा प्रथम सत्र की परीक्षा सम्पन्न करवाने के सन्दर्भ में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :-

माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार छात्रों की उपस्थिति पर विचार-विमर्श किय जाने हेतु दिनांक 08.11.2017 को अपराह्न 12:30 बजे सभी संकाय प्रमखों तथा सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) की एक बैठक कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों के संज्ञान में लाया गया कि शैक्षणिक नियम परिचायिक में उल्लेख उपस्थिति नियमानुसार विद्यापीठ के प्रत्येक कक्षा में छात्र की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है । उपस्थिति प्रपत्र विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तथा परीक्षित कर कार्यालय में प्रति माह तृतीय कार्यदिवस तक अनिवार्य रूप से शैक्षणिक विभाग में जमा कराना आवश्यक है ।

प्राय: यह पाया गया है कि कुछ अध्यापकों द्वारा अपने विषय से सम्बन्धित उपस्थिति निर्धारित समय अवधि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संकाय प्रमुख कार्यालय में प्रेषित नहीं की जा रही है । जिसके कारण छात्रों को प्रति माह उनकी उपस्थिति के बारे में अवगत करवाना सम्भव नहीं हो पाता ।

सम्बन्धित नियमों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त समिति द्वारा उपस्थिति व्यवस्था में सुधार हेतु तथा सत्र 2017-18 के प्रथम समेस्टर की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतिया की गई:-

1) प्रत्येक माह के अन्तिम-कार्यदिवस को अपराह्न (2.00 से 5.00 बजे तक) में सभी अध्यापक छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धी क्रिया-कलाप कर उपस्थिति पत्रक उसी दिन विभागाध्यक्ष के पास जमा करा देंगें। जिन्हें विभागाध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ संकाय प्रमुख कार्यालय में अगले माह के प्रथम कार्यदिवस में निश्चित रूप से जमा करवा दें तथा सभी संकाय प्रमुख शैक्षणिक विभाग में उपस्थिति रिकार्ड को अधिकतम प्रत्येक माह की दूसरे कार्य-दिवस तक अवश्य प्रेषित करें।
2) प्रत्येक माह के लिये संकाय प्रमुखगण कार्यालय द्वारा यह अभिलेखबद्ध किया जायेगा कि संकाय स्तर पर व उसके विभागों द्वारा कौन-कौन सी कार्यशालाएँ / संगोष्ठियॉ / व्याख्यानमालाएँ / विशेष व्याख्यान आयोजित किये गये हैं, तथा इस अवधि में विभागस्थ अध्यापकों द्वारा किन पुस्तकों / लेखों आदि का प्रकाशन किया गया और अन्य क्या-क्या गतिविधियाँ सम्पन्न की गयीं। संकाय प्रमुख निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिमाह मासिक शैक्षणिक क्रिया-कलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन शैक्षणिक अनुभाग एवं आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे।
3) प्रत्येक माह में संकाय-प्रमुखगण अपने विभागों से सम्बन्धित अध्यापकों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें विभागों एवं अध्यापकों से सम्बधित समस्याओं का विवेचन करते हुये नियमानुसार उन्हें दूर करने के लिये आवश्यक प्रयास करेंगे। संकायप्रमुख और विभागाध्यक्ष संयुक्त रूप से विभागीय प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा करेंगे और कुलपति को सूचित करेंगे।
4) सत्रीय पाठ्यक्रमों की पूर्णता की स्थिति:-
बैठक में उपस्थित समस्त संकायप्रमुखों के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके संकाय के समस्त विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लिया गया है।
5) परीक्षा के आयोजन एवं उसके सुचारू व्यवस्थापन की स्थिति:-
सभी संकाय प्रमुख द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शैक्षणि सत्र 2017-18 के प्रथम सेमस्टर की परीक्षा में परीक्षा के कक्ष में निरिक्षकों, केन्द्राध्याक्ष एवं उपकेन्द्रध्याक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी । जिसके समबन्ध में आवश्यक सूचना परीक्षा विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी । परीक्षा निरिक्षक, केन्द्राअध्यक्ष एवं उपकेन्द्रअध्यक्ष अपनी ड्यूटी परीक्षा समय सारणी के अनुसार निर्वाह करेगें ।

समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुये उपस्थिति व्यवस्था में सुधार हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-19 से सभी संकायों की उपस्थिति शैक्षणिक विभाग में एक सहायक द्वारा तैयार की जायेगी। सभी अध्यापक निर्धारित समय अवधि के अनुसार छात्रों की उपस्थिति प्रपत्र विभागाध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिक्षित कर शैक्षणिक विभाग में प्रतिमाह तृतीय कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से जमा करवायेगें। नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी । जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित अध्यापक की निजी पंजिका में संलग्न की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संकाय प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की समय-समय पर समपन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों की विद्वत परिषद् द्वारा पुष्टि की जा सकती है।

2. कार्यालय आदेश संख्या-एलबीएसवी/प्रशा./2017-18/1362 दिनांक 05.03.2018 के आदेशानुसार दिनांक 06. 03.2018 को अपराह्न 02.30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में समस्त संकायप्रमुखों, विभागाध्यक्षों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपकुलसचिव (वित्त) के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक के आरम्भ में डॉ. के. अनन्ता ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया । मंगलाचरण के उपरांत विचारणीय विषयों पर गहन चर्चा कर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

1. विद्यापीठ द्वारा पूर्व में लिए गये निर्णय के अनुसार अध्यापकों की उपस्थिति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के पास लगती है । विभागाध्यक्ष के कार्यान्तर में व्यस्त होने पर विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कक्ष नहीं खुल पाता तथा विभाग के अध्यापकों को उपस्थिति दर्ज करने में असुविधा होती है। विभागाध्यक्ष संकायप्रमुख को उपस्थिति पंजिका भेज नहीं पा रहे हैं । अत: सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित संकायप्रमुखों के पास अध्यापकों की उपस्थिति दर्ज की जाये, क्योंकि संकायप्रमुख के कक्ष में सहायक कार्यालय दिवसों में हर समय उपस्थित रहते हैं ।

अध्यापकों की उपस्थिति के संबंध में विद्वत्परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यापकों की उपस्थिति की व्यवस्था यथावत् लागू रखी जाए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अध्यापकों की उपस्थिति संकाय प्रमुख को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार प्रत्येक विषय की 180 कक्षाएं एक वर्ष में अवश्य लगनी अनिवार्य हैं । सामान्यत: यह देखा गया है कि अध्यापकों के अवकाश लेने के कारण कक्षाएं बाधित होती है । इस विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कक्षाओं की नियमित समयसारिणी के अनुसार सुनिश्चिता हेतु सभी अध्यापक आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश एवं अन्य अवकाश प्रपत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उनके अवकाश लेने पर उनकी अनुपस्थिति में कक्षा किस अध्यापक द्वारा ली जायेगी, इसका उल्लेख अवश्य करें । विभागाध्यक्ष एवं संकायप्रमुख अवकाश प्रपत्र में वैकल्पिक अध्यापक का उल्लेख या व्यवस्था न होने पर अवकाश प्रपत्र अग्रसारित न करें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक दिवसों को ध्यान में रखते हुए विद्वत्परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यापकों की अवकाश के दौरान संबंधित कक्षा में अध्यापन हेतु विद्यापीठ में पंजीकृत शोध छात्रों की सेवाएं ली जा सकती है।

संबंधित विभागाध्यक्ष को उक्त कक्षा की उपस्थिति सत्यापित कर संकाय प्रमुख के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

3. अवकाश के दिनों में कक्षाएं लेने के लिए अध्यापक विभागाध्यक्ष/संकायप्रमुख से अनुमति अवश्य लें और उनकी उपस्थिति कार्यालय में मासान्त तक अवश्य जमा कराएं ।

उपस्थिति नियमों को ध्यान में रखते हुए विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अवकाश के दिनों में कक्षाएं लेने के लिए अध्यापक विभागाध्यक्ष/संकायप्रमुख से प्रायः अनुमति अवश्य लें और उनकी उपस्थिति कार्यालय में मासान्त तक अवश्य जमा कराएं ।

4. विभागाध्यक्ष दैनन्दनीय कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिदिन अपने विभाग के अध्यापकों के साथ एक बार अवश्य बैठक आयोजित करें, जिसमें सभी के हस्ताक्षर हों ।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागाध्यक्ष अपने विभाग में आयोजित की जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण तैयार करें जिसकी एक प्रतिलिपि निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ तथा शैक्षणिक विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

5. अध्यापक व्यक्तिगत समयसारिणी एवं विभाग की समयसारिणी कक्षा लेते समय अपने पास अवश्य रखें, जिससे औचक निरीक्षण के समय निरीक्षक द्वारा उसे देखा जा सके ।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी अध्यापक विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन करे तथा छात्रों की सूचना हेतु समय-सारिणी की प्रतिलिपि अपने कक्ष की सूचना पट्ट पर अवश्य चस्पा करें।

6. कई विषयविशेषज्ञों द्वारा स्वतन्त्र विभाग स्थापित करने के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, इस विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा सभी विषयों के पूर्ववत् स्वतन्त्र विभाग स्थापित करने के लिए आगामी विद्वत्परिषद् में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

7. आगामी दीक्षांत समारोह सम्भवतः 21 अप्रैल, 2018 को आयोजित किया जा सकता है, इस दीक्षान्त समारोह में सम्बोधन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किये जाने के लिए अनुरोध करने हेतु व्यक्तिगत रूप से कुलाधिपति एवं कुलपति महोदय दिनांक 23.02.2018 को राष्ट्रपति भवन गये थे और महामहिम राष्ट्रपति जी ने दीक्षान्त समारोह के उद्घाटन करने की मौखिक सहमति प्रदान कर दी है ।

कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सत्रहवॉ दीक्षान्त समारोह आयोजित करने हेतु विभिन्न-विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु समितियों का गठन किया जा चुका है।

8. परीक्षा मण्डल द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियन्त्रक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में विद्यापीठ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृतभाषा कौशल) विषयों में दो क्रेडिट प्रणाली अंक के अनुसार प्रावधान किया गया है, जबकि इन विषयों की कक्षाएं अधिक की जा रही है । इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि आधुनिक विद्या संकाय द्वारा आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृतभाषा कौशल) के अध्यापकों की एक कार्यशाला आयोजित की जाए । इस कार्यशाला के संयोजक आन्तरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी होंगे । इस कार्यशाला में बाह्य विषय विशेषज्ञों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृतभाषा कौशल) एवं प्रो. चाँदकिरण सलूजा को आमंत्रित किया जाए तथा पाठ्यक्रम संशोधित कर छात्रों को लाभान्वित करें ।

परीक्षा मण्डल के सुझाव अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में वांछित संशोधन करने हेतु दिनांक ३.४.२०१८ को कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा संशोधित पाठ्यक्रम तैयार कर शैक्षणिक विभाग में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

9. अगले सत्र से स्वतन्त्र रूप से योग विभाग को विद्यापीठ में आरम्भ किया जाए तथा इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाए ।

योग विभाग को स्थापित करने के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा विद्वत्परिषद् के सदस्यों को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यापीठ को योग विभाग की स्थापना तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग विषय में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ धारा १२ (२) में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया सम्पन्न की जा सकती है।

संकल्प संख्या ९.४ विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित अध्ययन मण्डलों के प्रतिवेदन तथा संशोधित पाठ्यक्रम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

दिनांक 24.10.2017 को आयोजित विद्वत परिषद् की आठवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठके आयोजित कर समस्त कक्षाओं का संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। संशोधित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जाना है। समस्त विभागों के अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार संशोधित पाठ्यक्रम विद्वत परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित पाठ्यक्रम को मुद्रण करवाने हेतु समिति के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है। उक्त समिति शीघ्रातिशीघ्र समीक्षा कर मुद्रण कार्य को एक माह के अंदर सम्पन्न करेगी।

संकल्प संख्या ९.५ (१) दिसम्बर २०१७ में हुई सत्रीय परीक्षा परिणाम की पुष्टि।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गठित परीक्षा मण्डल की बैठक आहूत की गई थी जिसमें प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम की स्वीकृति के साथ-साथ उन्हें घोषित करने का निर्णय लिया गया था तद्नुसार परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके है। परीक्षा मण्डल के समस्त निर्णय यथावत लागू किए जा चुके है। परीक्षा मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों और परीक्षा परिणाम को विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.५ (२) जनवरी २०१८ में हुई सायंकालीन पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम की पुष्टि।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की परीक्षा जनवरी 2018 में आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गठित परीक्षा मण्डल की बैठक आहूत की गई थी जिसके अनुसार उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है तथा परीक्षा मण्डल के समस्त निर्णय यथावत लागू किए जा चुके है। परीक्षा मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों और परीक्षा परिणाम को विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.५ (३) शोधोपाधि समिति द्वारा संस्तुत मार्च माह तक विद्यावारिधि छात्रों की वाक् परीक्षा की सूची की पुष्टि की सूची।

विद्यापीठ के विभिन्न विभागों में शोध छात्र के रूप में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध संबंधी विनियम, 2016 के आलोक में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को कुलपति महोदय के आदेशानुसार दो बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकित कराया गया और नियमानुसार उनकी वाक् परीक्षा सम्पन्न कराई गई। वाक्परीक्षा प्रतिवेदन कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया है। योग्य शोध छात्रों को सत्रहवें दीक्षान्त समारोह पर शोध उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

संकल्प संख्या ९.५ (४) स्वर्णपदक प्राप्त करने वाली छात्रों की सूची की पुष्टि।

परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार विद्यापीठ के सभी पाठ्यक्रमों में सर्वोत्कृष्ट छात्र को स्वर्णपदक प्रदान कर पुरस्कृत किया जाता है। सत्रहवें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर पदक प्रदान करने हेतु तैयार सूची के अनुसार संबंधित छात्रों को पदक प्रदान करने हेतु विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। पदक आदि की व्यवस्था परीक्षा विभाग द्वारा की जाएगी।

संकल्प संख्या ९.५ (५) षाण्मासिक जैन विद्या पाठ्यक्रम, संस्कृत सम्भाषण पाठ्यक्रम हेतु संयोजकों द्वारा निर्धारित अंकतालिका की पुष्टि।

विद्यापीठ द्वारा संचालित अंशकालिक षाण्मासिक जैन विद्या पाठ्यक्रम, संस्कृत सम्भाषण पाठ्यक्रम हेतु संयोजको द्वारा निर्धारित अंकतालिकां के प्रारूप विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.५ (६) षाण्मासिक जैन विद्या पाठ्यक्रम, संस्कृत सम्भाषण, एकवर्षीय वास्तुशास्त्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम, द्विवर्षीय वास्तुशास्त्र एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्रों के दीक्षान्त समारोह में जारी करने की पुष्टि।

विद्यापीठ द्वारा संचालित अंशकालिक षाण्मासिक जैन विद्या पाठ्यक्रम, संस्कृत सम्भाषण, एकवर्षीय वास्तुशास्त्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम, द्विवर्षीय वास्तुशास्त्र एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्रों के प्रारूप विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.५ (७) परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित परिलेख शुल्क की पुष्टि (दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुरूप छात्रों से प्राप्त)

परीक्षा विभाग द्वारा परिलेख शुल्क की राशि दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार निर्धारित की गई है। विद्वत्परिषद् द्वारा परिलेख शुल्क की पुष्टि की जा सकती है। नवीन परिलेख शुल्क आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू की जाएगी।

संकल्प संख्या ९.५ (८) नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों की उपाधि पत्र का प्रारूप स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा विभाग द्वारा दीक्षान्त समारोह के अवसर पर प्रदान की जाने वाली उपाधि का प्रारूप तैयार किया गया है। विद्वत्परिषद् द्वारा उपाधि के प्रारूप **(ए४ साइज)** को स्वीकृति प्रदान की गई तथा योग्य छात्रों को नए प्रारूप के अनुसार दीक्षान्त समारोह पर उपाधि प्रदान की जाएगी।

संकल्प संख्या ९.५ (९) सत्तरहवां दीक्षान्त समारोह में प्रदान की जानी वाली उपाधि की संख्या।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में उत्तीर्ण छात्रों को प्रदान की जानी वाली उपाधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

1. शास्त्री -78
2. आचार्य-93
3. शिक्षाशास्त्री-173
4. शिक्षाचार्य-12
5. विशिष्टाचार्य-32
6. विद्यावारिधि-28

विद्वत्परिषद् द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार प्रदान की जानी वाली उपाधियों की स्वीकृति प्रदान की गई। सत्रवहें दीक्षांत समारोह के पूर्व विद्यावारिधि के कतिपय अन्य छात्रों की मौखिक परीक्षा सम्पन्न होने पर उन्हें भी सत्रवहें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान करने हेतु कुलाधिपति को अधिकृत किय गया।

संकल्प संख्या ९.६ शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में अस्थाई रूप से प्रविष्ट अभ्यार्थियों को सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण माह अप्रैल, २०१८ में आयोजित होने वाली सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति हेतु।

शैक्षणिक नियम परिचायिका 2017-18 के पृष्ठ संख्या 72 के 3.14 के नियमानुसार विशिष्टाचार्य में प्रविष्ट निम्नलिखित छात्रों का पंजीकरण छः माह के सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही शोध पंजीकरण को नियमित किया जायेगा। छः माह के सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा की उत्तीर्णता के पूर्व शोध पंजीयन पूर्णतः अस्थायी होगा और एम.फिल के छात्र को अगले सत्र में अध्ययन हेतु प्रोन्नत नहीं किया जायेगा, दिसम्बर, 2017 में आयोजित सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण निम्नलिखित छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनुसार छात्रों को अप्रैल 2018 में आयोजित की जानी वाली सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। नियमानुसार प्रवेश प्राप्त छात्रों को प्रारम्भिक अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य है। सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में अस्थाई पंजीकरण निरस्त माना जाऐगा।

क्र.सं.	नाम	विषय
1.	संगीता	विशिष्टाद्वैत वेदान्त
2.	अंकुश कुमार व्यास	फलित ज्योतिष
3.	प्रेमानन्द शर्मा	पुराणेतिहास
4.	ठाकुर दयाल शर्मा	पुराणेतिहास
5.	रवीश कुमार	प्राचीनव्याकरण
6.	श्याम पाल आर्य	प्राकृत

7.	स्नेहलता द्विवेदी	साहित्य
8.	धर्मराज मलिक	साहित्य
9.	मिठुन सरकार	शुक्लयजुर्वेद
10.	रोहित कुमार	शुक्लयजुर्वेद
11.	पूजा देवी	अद्वैतवेदान्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त छात्रों को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित छात्रों को सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा को 55% अंकों सहित उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय मात्र इस वर्ष के लिए ही लागू होगा।

संकल्प संख्या ९.७ शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों द्वारा अनुत्तीर्ण होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार पुनः द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने पर विचार।

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। परीक्षा परिणाम के अनुसार कुछ छात्र प्रथम सेमेस्टर की पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तथा कुछ छात्र द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार एम.फिल. तथा पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा। संबंधित छात्रों द्वारा अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निमयानुसार शोध छात्रों के लिए सत्रीय पाठ्यक्रम की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा परिणाम सूची के अनुसार जो छात्र प्रथम सेमेस्टर की पुनः परीक्षा में दुसरी बार तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है नियमानुसार उनका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

जो छात्र सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके है परन्तु द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है उन्हें द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का विशेष अवसर प्रदान किया जा सकता है। संबंधित छात्र यदि विशेष अवसर के दौरान भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते तो उनका पंजीकरण निरस्त माना जाएगा।

संकल्प संख्या ९.८ शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ के लिए निर्मित शैक्षणिक कलैण्डर की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए शैक्षणिक कलैण्डर तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 19.1.2018 को आयोजित की गई। समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 के प्रावधानों के

अनुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 में आयोजित की जाने वाली समस्त शैक्षणिक गतिविधियां, संगोष्ठी कार्यशाला, खेलकूद, परीक्षा से सम्बन्धित कार्य एवं शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रवेश से सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर 2018-19 को तैयार करने हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियिम 2010 की धारा 14 एवं 15 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 19.01.2018 को अपराह्ण 03:00 बजे सम्पन्न हुई।

समिति में उपस्थित सदस्यों को शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार करने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं गत वर्ष के शैक्षणिक कैलेण्डर के प्रति प्रेषित की गई। समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को संज्ञान में लेते हुए सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2018-19 के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न-विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के अनुसार शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार किया गया (संलग्नक-1)

कुल शैक्षणिक दिवस - 181 (प्रथम सेमेस्टर - 91 दिन , द्वितीय सेमेस्टर - 90 दिन)
कुल अवकाश दिवस - 30 (शारदीयावकाश-07 दिन, शीतावकाश-05 दिन, ग्रीष्मावकाश-18 दिन)

समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र- 2018-19 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित तिथियाँ निर्धारित की गई-

1. शास्त्री प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष, विशिष्टाचार्य एवं समस्त स्ववित्तपोषित अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि अप्रैल के प्रथम सप्ताह, 2018 से 25 जून, 2018
2. पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 27 जून, 2018
3. शास्त्री प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष, विशिष्टाचार्य में प्रवेश परीक्षा तिथि 30 जून, 2018 समय 10:00 से 01:00 बजे तक
4. शास्त्री प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष एवं विशिष्टाचार्य की लिखित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थ योग्य छात्रों की सूची की घोषणा तिथि 10 जुलाई, 2018
5. शास्त्री प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष एवं विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया की तिथि 11 जुलाई, 2018 से 18 जुलाई, 2018 तक
6. विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2018 तक
7. शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से प्रकाशित मार्गनिर्देशिका के अनुसार निर्धारित तिथियों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
8. सत्रारम्भ यज्ञ 18 जून, 2018.
9. शास्त्री द्वितीय, तृतीय, आचार्य द्वितीय, शिक्षाशास्त्री द्वितीय एवं शिक्षाचार्य द्वितीय कक्षाओं का शुभारम्भ 18 जून, 2018 प्रातः 11:00 बजे

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में समस्त शैक्षणिक गतिविधियों एवं अन्य विभागीय गतिविधियों का आयोजन शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार ही सम्पन्न किया जायेगा।

सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित करें कि विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन कैलेण्डर के अनुसार ही आयोजित किया जाऐ।

विभागीय संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित करने हेतु अन्य विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने संकाय प्रमुखो के साथ चर्चा कर तैयार करेगें। जिसकी एक प्रति शैक्षणिक विभाग एवं विकास विभाग को प्रेषित की जायेगी।

सदस्यों द्वारा शैक्षणिक कैलण्डर तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक कैलण्डर 2018-19 में उल्लेख समस्त गतिविधियों का अवलोकन किया गया। डॉ. सुधांशुभूषण पण्डा द्वारा अनुरोध किया गया कि ग्रीष्मावकाश दिनों की संख्या कम है ऐसी स्थिति में अर्जित अवकाश के दिनों में परिवर्तन अपेक्षित होगा। तथा शैक्षणिक कैलण्डर का पुनः अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक संशोधन किया जाए। इस संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में तैयार शैक्षणिक कैलण्डर (2018-19) में नियमानुसार वांछित संशोधन यदि अपेक्षित हो तो निम्नलिखित सदस्यों की समिति अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।

1. प्रो. रमेश प्रसाद पाठक, संकाय प्रमुख, शिक्षाशास्त्र संकाय	-	अध्यक्ष
2. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, विभागाध्यक्ष, ज्योतिष विभाग	-	सदस्य
3. डॉ. सुधांशुभूषण पण्डा, विभागाध्यक्ष, धर्मशास्त्र विभाग	-	सदस्य
4. डॉ. के. अनन्ता, विभागाध्यक्ष, वेदान्त विभाग	-	सदस्य
5. डॉ. एन.पी. सिंह, परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
6. श्री सुच्चा सिंह, सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)	-	संयोजक

संकल्प संख्या ९.९ शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तैयार शैक्षणिक नियम परिचायिका में निहित प्रावधानों एवं नियमों की स्वीकृति।

कुलपति महोदय के आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 की शैक्षणिक नियम परिचायिका तैयार करने हेतु कार्यालय आदेश सं. 3/12/LBSV/शै./2017-18/3105 दिनांक 22/01/2018 के अनुसार गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 25/01/2018 को आयोजित की गई थी। कार्यालय आदेश सं. 3/12/LBSV/2017-18 दिनांक 19/02/2018 के अनुसार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 20.02.2018 को सम्पन्न हुई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को सूचित किया गया कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 की शैक्षणिक नियम परिचायिका तैयार करने हेतु शैक्षणिक विभाग द्वारा कार्यालय आदेश सं. 3/12/LBSV/शै./2016-17/2581 दिनांक 10/11/2017 के अनुसार समस्त संकाय/विभाग/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध किया गया था कि वे शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए परिचय नियमावली को तैयार करने के लिए अपने विभाग से सम्बन्धित नियमों की जांच कर अपेक्षित संशोधन, परिमार्जन एवं नवीनीकरण नियमानुसार सुनिश्चित कर शैक्षणिक विभाग को दिनांक 07.12.2017 तक अनिवार्य रुप से प्रेषित करे, ताकि प्राप्त हुई सूचनाएं परिचय नियमावली तैयार करने हेतु गठित समिति के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा सके।

दिनांक 25/01/2018 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार शैक्षणिक विभाग द्वारा तैयार प्रारूप कार्यालय आदेश सं. 3/12/LBSV/शै./2016-17/3227 दिनांक 06/02/2018 के अनुसार सभी संकाय प्रमुखों को इस आशय से प्रेषित किया गया था कि वह प्रारूप का अवलोकन कर सम्बन्धित नियमों की जांच कर अपेक्षित संशोधन नियमानुसार सुनिश्चित कर दिनांक 12/02/2018 तक निश्चित रूप से शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करें।

सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शैक्षणिक विभाग तैयार शैक्षणिक नियम परिचायिका के प्रारूप तथा गत वर्ष की शैक्षणिक नियम परिचायिका को संज्ञान में लेते हुए विचार विमर्श के उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2018-19 की शैक्षणिक नियम परिचायिका तैयार करने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए:-

1. समिति द्वारा सुझाव दिया कि वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 को आधार बनाते हुए, शैक्षणिक नियम परिचायिका में संकाय एवं विभागों के परिचय/जानकारी को एक सामान अनुपात में दर्शाया जाये। जिससे सभी विभागों व विषयो को समान स्थान मिले एवं शैक्षणिक नियम परिचायिका के पृष्ठों की संख्या को परिसीमन किया जा सके।
2. समिति द्वारा सुझाव दिया कि शैक्षणिक नियम परिचायिका में विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के नियमों को पृथक्-पृथक् किया जाए। जिससे नियमों को छात्रों को समझने में आसानी हो सकें।
3. समिति द्वारा सुझाव दिया कि शैक्षणिक नियम परिचायिका में शैक्षणिक कलैन्डर एवं महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख अलग-अलग किया जाए। जिससे छात्रों को ओर अधिक पारदर्शिता और समस्त शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सके।
4. समिति द्वारा सुझाव दिया कि शैक्षणिक नियम परिचायिका में विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के विषयों के क्रेडिट प्रणाली के स्थान पर सिर्फ अंक ही दर्शाए जायें तथा अंक तालिका में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए निधार्रित कुल अंक तथा क्रेडिट आदि को पृथक-पृथक से दर्शाया जायें। नियमानुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रम को विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार जिसमें इकाई, विषय, अंक, क्रेडिट तथा ग्रन्थों की सूची को पृथक-पृथक से दर्शाया जाना अनिवार्य है। संशोधित पाठ्यक्रम को मुद्रित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायें।
5. समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि क्रेडिट प्रणाली के निर्धारण हेतु समस्त संकाय प्रमुखों को शैक्षणिक विभाग द्वारा पत्र भेजा जाए। जिससे विभाग से सम्बधित विशिष्टाचार्य के प्रत्येक पत्र के क्रेडिटों का निर्धारण किया जा सकें, तथा विशिष्टाचार्य हेतु निर्धारित सत्रीय पाठ्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम के अंको तथा क्रेडिट संख्या पर पुनः विचार करने हेतु गठित समिति की पृथक् से एक और बैठक अतिशीघ्र आयोजित की जाए, ताकि सभी विषयों का पाठ्यक्रम एक समान रूप से तैयार किया जाये।
6. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवष्टि छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया की शैक्षणिक नियम परिचायिका 2018-19 तथा प्रवेश आवेदन पत्र की कुल 1500-1500 प्रतियाँ ही मुद्रित कराई जाये।

समिति द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुसार प्रारूप में वांछित संशोधन सहित शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए शैक्षणिक नियम परिचायिका को मुद्रण करने की अनुशंसा की जाती है।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 की शैक्षणिक नियमपरिचायिका को तैयार करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते हुए कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरान्त शैक्षणिक नियमपरिचायिका का मुद्रण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है।

संकल्प संख्या ९.१० शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ (प्रथम सेमेस्टर) में प्रविष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु गठित समिति की बैठक में की गयी संस्तुतियां की पुष्टि।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रविष्ट शास्त्री, आचार्य एवं विशिष्टाचार्य के छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15.1.2018 को अपराह्न 3.00 बजे कक्ष संख्या 3(सम्मेलन कक्ष) में आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा शैक्षणिक नियम परिचायिका 2017-18 में उल्लेखित छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से सम्बन्धित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विचार विमर्श करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, आचार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, विशिष्टाचार्य छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के प्रथम सेमेस्टर की छात्रवृत्ति देने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1.शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, आचार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, विशिष्टाचार्य के जिन छात्रों की उपस्थिति 75% पूर्ण है ऐसे सभी छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति देने की अनुशंसा करती है।

2. समिति द्वारा शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य प्रथम वर्ष कक्षा में प्रविष्ट छात्रों को भारत सरकार आरक्षण प्रावधान के अनुसार निर्धारित छात्रवृत्ति प्रदान करने की संस्तुति की गई है।

3. जिन छात्रों द्वारा किन्ही कारणवश अपनी अंकतालिका/अन्य प्रमाणपत्र कार्यालय में जमा नहीं करवाए ऐसे छात्रों को प्रमाणपत्र जमा करवाने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

3. यदि कोई छात्र प्रथम सत्र की अवधि में छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण नहीं करता तो उसे प्रथम सेमेस्टर की छात्रवृति प्रदान नहीं की जाएगी, उसको मात्र द्वितीय सेमेस्टर की छात्रवृत्ति ही प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वह द्वितीय सेमेस्टर की छात्रवृत्ति की पात्रता पूर्ण करता हो।

4. यदि आचार्य कक्षा में छात्रवृत्ति शेष रहती है तो डबल आचार्य करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने का सुझाव समिति द्वारा दिया गया है।

5. विशिष्टाचार्य कक्षा में सिद्धान्त ज्योतिष, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, विशिष्टाद्वैत वेदान्त, जैनदर्शन एवं प्राकृत भाषा विषय की शेष 06 छात्रवृत्ति अर्हता पूर्ण न होने के कारण दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति एवं वेद-वेदांग संकाय के अन्य विषयों में दो-दो छात्रों को द्वितीय वरीयता क्रमानुसार छात्रवृत्ति देने का सुझाव समिति द्वारा दिया गया है।

समिति के अनुसार योग्य छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के प्रथम सेमेस्टर की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।

समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 के प्रथम सेमेस्टर में प्रविष्ट छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुशंसा की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.११ केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को आयोजित तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार समस्त संकायों की विभागीय शोध समीक्षा समिति का गठन किया जा चुका है। वेद-वेदांग संकाय, साहित्य एवं संस्कृति संकाय और दर्शन संकाय द्वारा अपने-अपने संकाय में पंजीकृत शोध छात्रों की शोध प्रगति की समीक्षा एवं शोध की गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि की समीक्षा हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार समिति की बैठक का आयोजन किया गया:-

साहित्य एवं संस्कृति संकाय	दिनांक : 11 जनवरी, 2018
दर्शन संकाय	दिनांक : 9-10 जनवरी, 2018
वेद-वेदांग संकाय	दिनांक: 18-19 जनवरी, 2018
शिक्षाशास्त्र	दिनांक: 2-3 जनवरी, 2018

शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है। विद्वतपरिषद् द्वारा शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जाती है। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि सभी संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के संबंध में शोध छात्रों को समय-समय पर जानकारी प्रदान करें ताकि शोध छात्र अपना शोध कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण करें।

संकल्प संख्या ९.१२ सत्तरहवां दीक्षान्त समारोह में प्रदान की जानी वाली मानद उपाधियों के नामों की सूची तैयार करने हेतु समिति का गठन।

कुलपति महादेय द्वारा सदस्यों का यह अवगत कराया गया कि विद्यापीठ द्वारा सत्तरहवॉ दीक्षान्त समारोह दिनांक 21 अप्रैल 2018 को आयोजित करने का निश्चय किया गया है। दीक्षान्त समारोह में दीक्षान्त भाषण हेतु मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी से अनुरोध किया गया था जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है।

देश के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों को मानद उपाधि प्रदान करने हेतु कुलपति महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति (डॉ. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, प्रो. जंदाला बी.जी. तिलक, प्रो. पी.एन. शास्त्री, प्रो. अनुपा पाण्डे, प्रो. पी.बी. शर्मा, प्रो0 श्री किशोर मिश्रा) की बैठक दिनांक 28.03.2018 को आहूत की गयी थी जिसमें लिये गये निर्णय के अनुसार सत्तरहवें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर कुछ विशिष्ट विद्वानों को महामहोपाध्यायएवं वाचस्पति मानद उपाधियाँ प्रदान करने की संस्तुति कुलाधिपति जी को भेजी गई थी, कुलाधिपति जी ने दूरभाष द्वारा निम्नलिखित विद्वानों को उपाधियाँ प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जिसे विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्ट किया गया :-

महामहोपाध्याय

1. डॉ. रामचन्द्र पाण्डेय, (उ.प्र.)
2. डॉ. जी गंगाधर नायर, (केरल)

वाचस्पति

1. डॉ. एच आर नागेन्द्र (कर्नाटक)
2. डॉ. बिवेक देबराय (नई दिल्ली)
3. श्री एन्. गोपालस्वामी (तमिलनाडु)

सर्वसम्मति से उपर्युक्त विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधि प्रदान करने की करतल ध्वनि के साथ पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.१३ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत सरकार दिनांक ०८.१२.२०१७ के अनुसार दिनांक १०.०९.२०१७ को सम्पन्न संस्कृति सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को लागू करने का विचार।

विद्वत परिषद को सूचित किया जाता है कि 9 से 17 सितंबर, 2017 की अवधि तक वाराणसी में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तक मेला के अवसर पर, दिनांक 10 सितंबर, 2017 को मेला स्थल, टाउन हॉल ग्राउंड, मैदागिन, वाराणसी में न्यास द्वारा संस्कृत सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें देशभर से संस्कृत के नौ विद्वानों ने भाग लिया। संस्कृत सलाहकार समिति द्वारा संस्कृत और संस्कृत पुस्तकों के प्रोन्नयन एवं विकास हेतु किए जाने कार्य हेतु राय, सुझाव एवं विचार प्रस्तुत। बैठक के कार्यवृत्त क्रम सं. 13 के अनुसार लिये गए निर्णय का विवरण निम्न प्रकार है।

> **''संस्कृत भाषा में पुस्तक प्रकाशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करवाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ न्यास के साथ काम करने को इच्छुक है। इसके लिए हम न्यास से एमओयू करने को तैयार हैं।''**

संस्कृत सलाहकार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को लागू करने हेतु विद्यापीठ द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के साथ सहमति ज्ञापन पत्र हस्ताक्षर किया जा सकता है। विद्वत परिषद द्वारा सहमति ज्ञापन पत्र तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सहमति ज्ञापन पत्र तैयार करने से पूर्व राष्ट्रीय पुस्तक न्याय कार्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए कि वे दिनांक 10.9.2017 को संस्कृत सलाकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर उचित कार्यवाही करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पत्र विद्यापीठ को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

संकल्प संख्या ९.१४ विशिष्टाचार्य तथा विद्यावारिधि कक्षा के सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता हेतु मापदण्ड निर्धारित करने हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 24.10.2017 को आयोजित विद्वत परिषद की आठवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएचच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2016) की धारा 7.2 के अनुसार सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता हेतु ग्रेडिंग प्रणाली तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13.2.2018 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा एम. फिल/पीएचच.डी. के सत्रीय पाठ्यक्रम उत्तीर्णता हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां की गई।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अनुसार एम.फिल. / पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता तथा सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता मानदंड निम्न प्रकार है:-

1. एम.फिल0 पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पीएच.डी. उपाधि अर्जित कर सकें। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभन्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer) / पृथक रुप से निशक्त से संबंद्ध हैं अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।
2. किसी एम.फिल. / पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबंध / थीसिस जमा करने होंगे।
3. छः माह के सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही शोध पंजीकरण को नियमित स्वीकार किया जायेगा। छः माह के सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा की उत्तीर्णता के पूर्व शोध पंजीयन पूर्णतः अस्थायी होगा।
4. एम.फिल. / पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन सम्बन्धी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा।

समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह संस्तुति की गई कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 पर उल्लेख प्रावधानों के अनुपालन में विशिष्टाचार्य / विद्यावारिधि उपाधि में पंजीकरण हेतु निर्धारित सत्रीय पाठ्यक्रम में प्रविष्ट सभी श्रेणी के छात्रों को पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित ग्रेड प्रणाली लागू की जाए तथा अंक तालिका मुद्रण हेतु निम्नलिखित ग्रेडिंग प्रणाली का उल्लेख किया जाए:

क्रम. S.No.	श्रेण्यक्षरम् Grade Letter	श्रेणीविवरणम् (Grade Description)	श्रेण्यङ्नम् Grade	श्रेण्यङ्नबिन्दु: (Grade Point)	समप्रतिशताङ्का (Equivalent Percentage)
1	O	अतिविशिष्ट:(Outstanding)	10	अधिक 9 से10	अधिक 90.00 और ≤100
2	A+	उत्तमोत्तम: (Excellent)	9	अधिक 8 से 9	अधिक 80 और ≤ 90
3	A	अत्युत्तम: (Very good)	8	अधिक 7 से 8	अधिक 70 और ≤ 80
4	B+	उत्तम:(Good)	7	अधिक 6 से 7	अधिक 60 और ≤ 70
5	B	सामान्योपरि: (Above Average)	6	5.5 से 6	55 से 60
6	F	अनुत्तीर्ण: (Fail)	0		<55
7	Ab	अनुपस्थित: (Absent)	0		अनुपस्थित (Absent)

टिप्पणी:-

1. एफ = अनुत्तीर्ण और एक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में 'एफ' के साथ वर्गीकृत छात्रों को सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा में पुन: समलित होने की आवश्यकता होगी।
2. पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 55% या एसजीपीए / सीजीपीए 5.5 होंगे।
3. छात्रों को कुल मिलाकर आंतरिक मूल्यांकन और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं को अर्हता प्राप्त करनी होगी।
4. एसजीपीए / सीजीपीए के कोई गोल (rounding off) नहीं होगा।
5. एक छात्र द्वारा प्राप्त एसजीपीए / सीजीपीए अधिकतम 10 अंकों से होगा।
6. विद्यापीठ की एम.फिल डिग्री की उपाधि के लिए पात्र होने के लिए, एक छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में कुल 5.5 या 55% अंकों के सीजीपीए प्राप्त करना होगा।
7. बशर्ते छात्र जो डिग्री के लिए अन्यथा योग्यता प्राप्त कर चुका है, लेकिन सेमेस्टर की स्वीकार्य अवधि के अंत में 5.5 या 55% से कम अंक के एसजीपीए/ सीजीपीए को सुरक्षित कर लिया है, संबंधित विभाग द्वारा उसी पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए अनुमति दी जा सकती है।
8. एम.फिल. तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित सत्रीय पाठ्यक्रम को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.१५ दिनांक ६/३/२०१८ को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार सभी विषयों के पूर्ववत् स्वतंत्र विभाग स्थापित करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय।

दिनांक 6/3/2018 को समस्त संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उप-कुलसचिव (वित्त) के साथ समिति कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अध्यापकों की उपस्थिति, समय-सारणी, विभागीय देनन्दनीय कार्यों, सभी विषयों के पूर्ववत् स्वतंत्र विभागों की स्थापना, सत्तरहवा दीक्षान्त समारोह का आयोजन तथा आधुनिक विद्या संकाय के आधुनिक विषयों की कार्यशाला आदि पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक का कार्यवृत्त संख्या 6 के अनुसार कई विषय विशेषज्ञ द्वारा विषयों के

अध्ययन एवं अध्यापन की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व की तरह स्वतंत्र विभाग करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, इस विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा सभी विषयों के पूर्ववत् स्वतंत्र विभाग करने के लिए विद्वत्परिषद् में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

पूर्ववत् विभागों की व्यवस्था

	विषय	विभाग का नाम	संकाय का नाम
1	वेद	वेद विभाग	वेद-वेदांग संकाय
2	पौरोहित्य	पौरोहित्य विभाग	वेद-वेदांग संकाय
3	धर्मशास्त्र	धर्मशास्त्र विभाग	वेद-वेदांग संकाय
4	व्याकरण	व्याकरण विभाग	वेद-वेदांग संकाय
5	ज्योतिष	ज्योतिष विभाग	वेद-वेदांग संकाय
6	वास्तुशास्त्र	वास्तुशास्त्र विभाग	वेद-वेदांग संकाय
7	पुराणेतिहास	पुराणेतिहास विभाग	साहित्य एवं संस्कृति संकाय
8	साहित्य	साहित्य विभाग	साहित्य एवं संस्कृति संकाय
9	प्राकृत	प्राकृत विभाग	साहित्य एवं संस्कृति संकाय
10	अद्वैत वेदान्त,	अद्वैत विभाग	दर्शन संकाय
11	विशिष्टाद्वैत वेदान्त	विशिष्टाद्वैत विभाग	दर्शन संकाय
12	सांख्ययोग	सांख्ययोग विभाग	दर्शन संकाय
13	न्याय	न्याय विभाग	दर्शन संकाय
14	मीमांसा	मीमांसा विभाग	दर्शन संकाय
15	जैनदर्शन	जैनदर्शन विभाग	दर्शन संकाय
16	सर्वदर्शन	सर्वदर्शन विभाग	दर्शन संकाय
17	योग विज्ञान (नया विषय)	योग विभाग (नया विभाग)	दर्शन संकाय
18	शिक्षाशास्त्र	शिक्षाशास्त्र विभाग	शिक्षाशास्त्र संकाय
19	हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, और राजनीति शास्त्र,	मानविकी	आधुनिक विद्या संकाय
20	संगणक प्रयोग एवं पर्यावरण अध्ययन, मूल्यशिक्षा एवं मानवाधिकार	आधुनिक ज्ञान	आधुनिक विद्या संकाय
21	शोध	शोध विभाग	आधुनिक विद्या संकाय

विद्वत्परिषद् द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभागों के पूर्ववत् स्वतंत्र विभागों को उपरोक्त विवरणानुसार पूर्ववत् स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाएगा। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि एम.ओ.ए. में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा जो अपने विभाग के अध्ययन अध्यापन से संबंधित गतिविधियों को सम्पन्न करेगा। वर्तमान में जो विभागाध्यक्ष जिस विभाग में जो विभागाध्यक्ष का कार्यभार देख रहे थे वे अपना कार्यभार नियमानुसार निर्धारित अवधि तक विभागाध्यक्ष के पद

पर कार्यरत रहेगे। बीच का समय जो उनके अधिन नहीं था उसे भी उनके कर्यकाल में जोड़ा जायेगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यालय आदेश प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाए।

संकल्प संख्या ९.१६ दर्शन संकाय द्वारा प्रस्तुत जैन विद्या सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा अंशकालिक पाठ्यक्रमों को शनिवार, रविवार के अलावा कार्य दिवसों में भी प्रातः ८.०० से १०.०० बजे तक चलाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।

दिनांक 3.4.2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् की सातवीं बैठक के संकल्प संख्या 7.18 (5) के अनुसार यह निर्णय लिया गया था की जैनदर्शन विषय में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम को अन्य स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की भाँति प्रदान किया जाए। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में संबंधित पाठ्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रवेश लिया था। पाठ्यक्रम संयोजक द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि संबंधित पाठ्यक्रमों को शनिवार, रविवार के अलावा कार्य दिवसों में भी प्रातः 8.00 से 10.00 बजे तक चलाने की विद्वत्परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

संकल्प संख्या ९.१७ मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की पुष्टि हेतु।

दिनांक 24/10/2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् की आठवीं बैठक के संकल्प संख्या 8.17 के अनुसार सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ शिक्षा और सामाजिक विकास पर सचिवों के समूह की एक हाल ही में आयोजित बैठक में, यह अनुशंसा की गई थी कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और हर तीन साल में कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। इस समीक्षा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम के संशोधन को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान और संभावित मांग और कौशल की आपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को रोजगार योग्य बनाया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी विभाग अपने-अपने विभाग के अध्ययन मण्डलों की बैठक आयोजित कर नवीन पाठ्यक्रम तैयार करें जिन्हे मुद्रण कराने से पूर्व, पाठ्यक्रम के समीक्षा हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा संपादित किया जाएगा। नवीन पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विद्यापीठ द्वारा सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम का संशोधन किया जाना अनिवार्य है। शैक्षणिक नियम परिचायिका के नियमानुसार विद्यापीठ में प्रविष्ट सभी छात्रों को प्रवेश के समय संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है। इस संबंध में विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों में संशोधन हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आहूत कर समस्त कार्यवाही जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे ताकि नवीन पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जा सके। शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षा से संबंधित

पाठ्यक्रम का मॉडल (प्रारूप) तैयार करने हेतु गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 15.12.2017 को प्रातः 11.30 बजे कक्ष संख्या 3 में आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के लिए निर्धारित निर्देशों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् शास्त्री, आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षा के लिए विकल्पाधारित प्रणाली के अनुसार पाठ्यक्रम प्रारूप तैयार किया गया जोकि अनुलग्नक 1, 2, 3 एवं 4 पर संलग्नक है। समिति द्वारा यह संस्तुति दी जाती है कि सभी विभाग अपने विभाग से संबंधित पाठ्यक्रम को समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम प्रारूप के अनुसार तैयार करने हेतु अपने विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक आहूत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करें।

विद्वत्परिषद् के संज्ञान लाया गया कि समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रारूप के अनुपालन में सभी विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक आहूत कर संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। संशोधित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जाएगा।

संकल्प संख्या ९.१८ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम २०१० एवं (संशोधन विनियम) २०१४ के अनुसार तीन नए बाह्य सदस्यों को विद्वत्परिषद् में नामित करने पर विचार।

दिनांक 21.4.2015 को आयोजित विद्वत्परिषद् की तृतीय बैठक में विद्वत्परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विनियम को क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार करते हुए संशोधित विनियम 2014 के प्रावधान के अनुरूप ऐसे तीन सदस्य जो विद्यापीठ के शिक्षक न हों को सहयोजित करने हेतु निम्नलिखित तीन सदस्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी:

1. डॉ. बिट्ठलदास मूदड़ा
2. श्री गिरीश साहनी
3. अंजली जयपुरीया

विद्वत्परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विनियमों के अनुपालन में ऐसे तीन सदस्यों को सहयोजित करने पर विचार किया जो विद्यापीठ के शिक्षक न हों। इस संबंध में सर्वसम्मति से निम्नलिखित नामों को स्वकृत किया।

1. डॉ. अनिल गुप्ता
2. डॉ. सुभाष चन्द्रा
3. डॉ. साहू अखिलेश चन्द्र जैन

संकल्प संख्या ९.१९ विद्यावारिधि सत्रीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में उपस्थित होने पर विचार।

विद्वत्परिषद् की संज्ञान में लाया जाता है कि दिनांक 24.10.2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् की आठवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार विद्यावारिधि

पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोध छात्रों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पीएच.डी. की तैयार के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। सत्रीय पाठ्यक्रम को 55% अंकों सहित उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में पंजीकृत कुछ शोध छात्रों द्वारा 75% उपस्थिति पूर्ण न करने के कारण और अपरिहार्य करण से परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण तथा सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गये थे की उन्हे शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए आयोजित सत्रीय पाठ्यक्रम की कक्षाओं में अध्ययन करने तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निमयानुसार शोध छात्रों के लिए सत्रीय पाठ्यक्रम की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित छात्रों को सत्र 2017-18 में आयोजित होने वाली सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विशेष अवसर की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह निर्णय समान्य नियम स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्वत्परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उन छात्रों को ही दी जाएगी जो शेष उपस्थिति को पूरा कर 75% उपस्थिति को पूर्ण करेंगे। अनुपालन ना करने की स्थिति में नियमानुसार पंजीकरण निरस्त हो जायेगा। यह प्रावधान मात्र एक वर्ष के लिए है।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक शोध छात्र जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. पाठ्यक्रम में सत्रीय पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है उनको भी विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरान्त सत्रीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर यथानियम उपस्थित होकर सत्रीय पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्वत्परिषद् की स्वीकृति अनुसार संबंधित शोध छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 में आयोजित विद्यावारिधि सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी परन्तु कुछ शोध छात्र पुनः सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाये। संबंधित छात्रों द्वारा अनुरोध किया है कि उनकी पंजीकरण अवधि को ध्यान में रखते हुए सत्रीय पाठ्यक्रम सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार एम.फिल. तथा पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निमयानुसार शोध छात्रों के लिए सत्रीय पाठ्यक्रम की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए विद्वत्परिषद् से अनुरोध है कि संबंधित छात्रों को सत्रीय पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित होने का विशेष अवसर प्रदान किया जा सकता है। संबंधित छात्र यदि विशेष अवसर के दौरान भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते तो उनका पंजीकरण निरस्त माना जाएगा।

संकल्प संख्या ९.२० चयन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञों के नामों की सूची की स्वीकृति।

विभिन्न विषयों के पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के विशेषज्ञों की सूची संकाय प्रमुखों की बैठक में तैयार सूची को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया और उक्त सूची को प्रबंध मण्डल से स्वीकृत कराने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।

संकल्प संख्या ९.२१ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, २०१० एवं २०१६ में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार योजना एवं देखरेख बोर्ड (प्लानिंग एवं मानीटरिंग बोर्ड) का गठन किया गया है जिसकी बैठक २ अप्रैल, २०१८ को आहूत की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 एवं 2016 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार योजना एवं देखरेख बोर्ड (प्लानिंग एवं मानीटरिंग बोर्ड) का गठन किया गया है जिसकी बैठक 2 अप्रैल, 2018 को आहूत की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गयी तथा बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए प्रेषित की जाए।

योजना एवं देखरेख बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4.9.4(Best Teacher award to the teaching employees of the Vidyapeetha) एक सदस्य के द्वारा विरोध करने पर सदस्यों की सर्वसम्मति न होने के कारण प्रस्ताव को कुलपति जी ने हटा लिया।

योजना एवं देखरेख बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4.9.5 (To introduce special award after the name of Shri Lal Bahadur Shastri Ji) एक सदस्य द्वारा इसके दुरूपयोग होने की सम्भावना व्यक्त करने पर सदस्यों की सर्वसम्मति न होने के कारण प्रस्ताव को कुलपति जी ने वापस कर दिया। कुलपति जी ने यह भी कहा कि इस प्रकार के प्रस्ताव पूर्ण सहमति से ही स्वीकार किए जाने चाहिए।

संकल्प संख्या ९.२२ शोध मण्डल के गठन की पुष्टि।

कुलपति महोदय द्वारा प्रारित आदेश दिनांक 6.3.2018 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2017-18 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम (पीएच.डी.) में शोधच्छात्रों के स्थायी पंजीयन हेतु निम्नलिखित सदस्यों से युक्त शोधमण्डल का गठन किया गया है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव का परिवीक्षण, साक्षात्कार के माध्यम से शोधार्थी के उपस्थापन का परीक्षण एवं शोध कार्य हेतु स्थायी पंजीकरण की संस्तुति शोधमण्डल द्वारा की जायेगी।

1.	**कुलपति**	
	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष
2.	**संकाय प्रमुख**	
	1. प्रो. रमेश प्रसाद पाठक, शिक्षाशास्त्र संकाय प्रमुख	सदस्य
	2. प्रो. हरिहर त्रिवेदी, वेद-वेदांग संकाय प्रमुख	सदस्य
	3. प्रो. महेश प्रसाद सिलोडी, दर्शन संकाय प्रमुख	सदस्य
	4. प्रो. भागीरथि नन्द, साहित्य एवं संस्कृति संकाय प्रमुख	सदस्य
	5. प्रो. कमला भारद्वाज, छात्र कल्याण	सदस्या
	6. प्रो. सुदीप कुमार जैन, संकाय प्रमुख शैक्षणिक	सदस्य
	7. प्रो. हरेराम त्रिपाठी, संकाय प्रमुख, आधुनिक विद्या संकाय	सदस्य
3.	**विद्वत्परिषद् का एक प्रतिनिधि**	
	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य

4. **कुलपति द्वारा नामित विद्यापीठ का एक वरिष्ठ आचार्य**
   प्रो. नागेन्द्र झा — सदस्य
5. **कुलपति द्वारा मनोनीत तीन बाह्य विशेषज्ञ विद्वान**
   1. प्रो. रमाकान्त पाण्डेय, रा.सं.संस्थान, नई दिल्ली — सदस्य
   2. प्रो. राजाराम शुक्ल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी — सदस्य
   3. प्रो. ब्रजेश कुमार शुक्ल, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय — सदस्य
6. **मानविकी, आधुनिक ज्ञान एवं शोध विभागाध्यक्ष**
   प्रो. हरेराम त्रिपाठी — सदस्य
7. **परीक्षा नियंत्रक**
   डॉ. एन.पी. सिंह — सदस्य
8. **कुलसचिव**
   डॉ. अलका रॉय — सदस्या सचिव

शोधमण्डल की बैठक दिनांक 9.4.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से कुलपति कार्यालय के समीप सम्मेलन कक्ष में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विद्वत्परिषद् की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

संकल्प संख्या ९.२३ शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों को अंक तालिका जारी की जानी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यक्रम संबंधित कार्य एवं उपाधि प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए है।

1. एमफिल. पाठ्यक्रम संबंधित कार्य के लिए न्यूनतम 8 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिए जाएगें।
2. एमफिल. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधित कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधित अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होगें।

परीक्षा विभाग द्वारा विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम की अंकतालिका का प्रारूप निम्नलिखित विवरणानुसार तैयार किया जा चुका है:-

प्रथम सत्र			
पत्र सं०	**पाठ्यक्रम संबंधी प्रक्रिया**	**अंक**	**क्रेडिट्स**
1	स्वशास्त्रीयविषय:, शोधसर्वेक्षण च	100	4
2	शोधप्रविधि:, संगणकविज्ञान च	100	4
द्वितीय सत्र			
1	स्वशास्त्रीयविषय:	100	4
2	पाण्डुलिपिविज्ञान, संगणकविज्ञान च	100	4
3	लघुशोधप्रबन्ध:, अस्य संगणकीयम् उपस्थापनं च	100	8
	योग	500	24

अंकतालिका का प्रारूप विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा योग्य छात्रों को परीक्षा विभाग द्वारा अंकतालिका जारी की जा सकती है।

संकल्प संख्या ९.२४ दिनांक १५.२.२०१८ को अध्यक्ष आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

अध्यक्ष आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 15.2.2018 को आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के अनुपालन में पूर्व में तैयार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (यू.जी.सी.) के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु निष्पत्ति आधारित प्रतिवेदन तथा निष्पत्ति आधारित वार्षिक स्वमूल्यांकन एवं शैक्षणिक कार्य निष्पादन संकेतक प्रतिवेदन को तब तक लागू माना जाए जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस संबंध में कोई नए दिशा-निर्देश विद्यापीठ को प्राप्त नहीं होते। समिति द्वारा पारित बैठक की कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ९.२५ मूक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत नये पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में ।

संयोजक मूक्स पाठ्यक्रम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शैक्षणिक सलाहकार समिति द्वारा मूक्स पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 6 नए पाठ्यक्रम शार्टलिस्ट किए गए है। पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यक्रम संयोजको का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sl.No	Name of the proposed course	Coordinator
1	Veda and Srimadbhagavadgita	Dr. Satheesha K.S.
2	Introductory Sanskrit Grammar	Prof. Jaikant Singh Sharma
3	Sanskrit teaching tools and lesson planning	Dr. Paramesh Kumar Sharma
4	Foundation course of Prachin-Nyaya	Dr. Mahanand Jha
5	Basic Texts of Indian Philosophy	Prof. Hareram Tripathi
6	Indian Vastushastra	Dr. Pravesh Vyas

उपरोक्त विवरणानुसार नए पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उन्हे लागू करने की विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । संबंधित पाठ्यक्रम संयोजक पाठ्यक्रम को लागू करने के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करें।

संकल्प संख्या ९.२६ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय .

९.२६ (१) स्वतंत्र रूप से योग विभाग की स्थापना तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ से प्रवेश के संबंध में ।

दिनांक 6.3.2018 को समस्त संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उप-कुलसचिव (वित्त) के साथ कुलपति कार्यालय में विभिन्न-विभिन्न शैक्षणिक विषयों के संबंध में विचार-विमर्श करने

हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अध्यापकों की उपस्थिति, समय-सारणी, विभागों की स्थापना तथा सत्तरहवें दीक्षान्त समारोह का आयोजन आदि विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि अगले सत्र (2018-19) से स्वतंत्र रूप से योग विभाग को विद्यापीठ में आरम्भ किया जाए तथा इस संबंध में प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाए। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है।

दर्शन संकाय के अन्तर्गत योग विभाग को स्थापित करने के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा विद्वत्परिषद् के सदस्यों को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यापीठ द्वारा योग विभाग की स्थापना तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग विषय में प्रवेश प्रक्रिया के विषय में पत्र संख्या F.9/LBSVREG/Dev/Sec-12(B)/2016/1289 दिनांक 13.3.2018 को प्रेषित किया गया था जिसके संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्या एफ-6-2/83(सीपीपी-1) दिनांक 2.4.2018 के अनुसार सूचित किया गया कि विद्यापीठ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयो अधिनियम, 1956 धारा 12 (2) में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार योग विभाग की स्थापना की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सकती।

विद्वत्परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार योग विभाग की स्थापना तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

९.२६ (२) सत्र २०१८-१९ के क्रीडा कार्यक्रमों के संचालनार्थ

दिनांक 3.4.2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् में चार कोचों को अनुबन्ध पर बुलाने हेतु प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कबड्डी, कुश्ती, वालीबॉल, क्रिकेट आदि खेलो के कोचों की व्यवस्था की जानी स्वीकृत की गई थी। परन्तु किन्ही कारणवश कोचों को बुलाने का निर्णय विद्वत्परिषद् के कार्यवृत में नही आ सका था।

कोचों की व्यवस्था निम्न प्रकार से करना अपेक्षित है:-

1. कुश्ती
2. कबड्डी
3. वालीबॉल
4. क्रिकेट

क्रम संख्या 1 एव 2 का प्रशिक्षण प्रात:कालीन समय में तथा क्रम संख्या 3 एवं 4 का प्रशिक्षण सायंकाल में तथ्ज्ञा व्यवस्थानुकुल प्रशिक्षण देगें। शनिवार एवं रविवार को प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरे दिन की जा सकती है।

अत: प्रशिक्षकों का मानदेय अतिथि अध्यापकों की भॉति निश्चित किया जा सकता है।

प्रभारी क्रीडा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ में खेल-कूद से संबंधित गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु तथा छात्रों के प्रशिक्षण हेतु खेल

कोचों की व्यवस्था की जा सकती है। इस संबंध में अन्य विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित कर सूचना प्राप्त की जा सकती है की विश्वविद्यालय में कोच की व्यवस्था हेतु किस प्रकार के मानदंडो का पालन किया जाता है। यह निर्णय भी लिया गया कि खेल-कूद प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित समय के अनुसार की जाएगी:-

सुबह 8.00 बजे से 10.00 बजे तक
सायं 4.00 बजे से 6.00 बजे तक
इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रशासन विभाग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न की जाए।

अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों को धन्यवाद के उपरान्त शान्ति पाठ से विद्वत्परिषद् की नौवीं बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डॉ. अलका राय)
कुलसचिव एवं सचिव

(प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय)
कुलपति एवं अध्यक्ष